प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा न्यायाधीश

रिट याचिका (सिविल) संख्या 5486/2011

याचिकाकर्ता : धीरज मेश्राम

विरूद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

भारतीय संविधान की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः.

श्री संजय के. अग्रवाल याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री अजय द्विवेदी शासन की ओर से अतिण शासकीय अधिवक्ता।

श्री पंकज श्रीवास्तव उत्तरवादी क्रमांक 03 की ओर से अधिवक्ता।

श्री अनूप मजूमदार हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

.....

निर्णय

(17.07.2012)

1. याचिकाकर्ता जो नगर पालिका परिषद् डोंगरगढ़ के अध्यक्ष है, ने अनुलग्नक-पी/1 के अंतर्गत पारित आदेश की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है। उक्त आदेश द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 324 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगर पालिका लेखा नियम, 1971 के नियम 90(2) के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष को प्रदत्त याचिकाकर्ता की वित्तीय शक्तियों को स्थगित (निलंबित) कर दिया है।

2 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि संबंधित नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय याचिकाकर्ता के विरुद्ध कलेक्टर, राजनांदगांव के समक्ष अनुलग्नक-आर/1 के माध्यम से एक शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय पक्षपात किया गया तथा कुछ व्यक्तियों को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक विद्युत ठेकेदार से संबंधित प्रकरण में कलेक्टर द्वारा जाँच की गई तथा दिनांक 02.06.2011 को राज्य शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के पश्चात् दिनांक 24.08.2011 को आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) पारित किया गया। कलेक्टर की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष अंकित किया गया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नोट-शीट एवं चेक पर हस्ताक्षर किए बिना ही चेक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे वह दोषी पाया गया।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 324 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग केवल आपातकालीन

परिस्थितियों में परिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3(18) में "परिषद" की परिभाषा दी गई है, और जब उक्त परिभाषा को अधिनियम की धाराओं 5 एवं 19 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि उक्त शक्ति का प्रयोग परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने हेतु नहीं किया जा सकता। अतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित किया गया है तथा किसी भी स्थिति में यह दर्शाने हेतु कोई आधार नहीं है कि कोई ऐसी आपात स्थिति विद्यमान थी, जिससे उक्त प्रावधान के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता तथा हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि धारा 324 लागू नहीं होती है, तब भी उक्त आदेश को नगरपालिकाएँ अधिनियम की धारा 323 के अंतर्गत पारित आदेश माना जा सकता है; अतः आक्षेपित आदेश किसी प्रकार के क्षेत्राधिकार दोष से ग्रस्त नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए तथा नियम 1971 के नियम 90 के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते समय, अध्यक्ष परिषद की ओर से कार्य करता है।

अतः यह शक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से परिषद के विरुद्ध प्रयोग की गई है और आक्षेपित आदेश में कोई भी अवैधता नहीं है।

5. अधिनियम, 1961 की धारा 324 का संदर्भ आवश्यक है, जिसे नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है—

324. आपात स्थिति में असाधारण शक्तियाँ– (1) आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे किसी कार्य के निष्पादन या ऐसे किसी कृत्य के संपादन के लिए निर्देश दे सकता है या उसकी व्यवस्था कर सकता है, जिसे कोई परिषद निष्पादित करने या करने के लिए सशक्त है, और जिसका तात्कालिक निष्पादन या संपादन उसके या उसके मत में जनस्वास्थ्य अथवा जनसुरक्षा के लिए आवश्यक है, तथा यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या कृत्य के संपादन में होने वाला व्यय तथा उसे निष्पादित या करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक परिषद द्वारा तत्काल अदा किया जाएगा।

(2) यदि उक्त व्यय एवं पारिश्रमिक इस प्रकार अदा नहीं किए जाते हैं, तो राज्य सरकार या इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी आदेश पारित कर सकता है, जिसके द्वारा उस किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास उस समय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिषद की ओर से कोई धनराशि अभिरक्षा में हो, यह निर्देश दिया जा सके कि वह अपने पास उपलब्ध अथवा समय-समय पर प्राप्त होने वाली ऐसी धनराशि में से उक्त व्यय एवं पारिश्रमिक का भुगतान करे, और ऐसा व्यक्ति उक्त आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) उपधारा (2) की धारा 323 के प्रावधान, यथासंभव, इस धारा के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश पर लागू होंगे।

6. धारा 324 (उपर्युक्त) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त एवं निहित असाधारण शक्तियाँ परिषद के संबंध में केवल आपात स्थिति में ही प्रयोग की जा सकती हैं। **रामेश्वर प्रसाद व अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, (2006) 3 एस सी सी 1** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **"आपात स्थिति"** शब्द की व्याख्या करते हुए इसे ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है, जो कि ...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामान्य स्थिति नहीं थी, बल्कि ऐसी परिस्थिति थी जो तात्कालिक सुधारात्मक उपाय अपनाए जाने की मांग करती हो। तथापि, वर्तमान प्रकरण में मात्र इस कारण से कि याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (**C..M..O..**) के नोट-शीट एवं हस्ताक्षर के बिना एक चेक पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गई आक्षेपित कार्यवाही को उचित ठहराया जा सके।

7. **श्रीमती प्रभा रानी विश्वकर्मा बनाम राज्य मध्यप्रदेश एवं अन्य, एआईआर 1999 एम पी 223** के प्रकरण में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा अध्यक्ष एवं नगरपालिका परिषद के मध्य स्पष्ट अंतर रेखांकित किया गया है। उक्त निर्णय के कण्डिका 11 का सुसंगत अंश निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है—

"……

……

पूर्ववर्ती विश्लेषण के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि नगरपालिका एक निगमित निकाय है तथा उसकी स्वयं की स्वतंत्र विधिक सत्ता है। अतः विधि की यह अपेक्षा कि अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने के उद्देश्य से लिखित सूचना नगरपालिका को दी जाए, इसका अभिप्राय यह है कि उक्त सूचना नगरपालिका के नाम संबोधित होनी चाहिए। ऐसी सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, जिसे नगरपालिका की ओर से उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया हो, किंतु सूचना का संबोधन नगरपालिका को ही होना चाहिए, न कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को। मुख्य नगरपालिका अधिकारी, यद्यपि नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो सकता है तथा उसे विभिन्न कार्यों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संपादन हेतु अधिकार प्रदान किए गए हों, तथापि उसे नगरपालिका के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी नारायण दुबे (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी का यह दायित्व है कि वह नगरपालिका के लिए अथवा उसकी ओर से दस्तावेज़ प्राप्त करे। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि नगरपालिका परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी परिषद की ओर से दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार रख सकता है, किंतु जब किसी लिखित सूचना को नगरपालिका को दिया जाना हो, तब, यद्यपि इस विषय में कोई स्पष्ट शब्दावली प्रयुक्त नहीं की गई है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह बात प्रयुक्त भाषा से ही निहित है कि सूचना नगरपालिका को संबोधित की जानी आवश्यक है, क्योंकि नगरपालिका एक निगमित निकाय है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अमृत चन्द्र राजपाल (उपर्युक्त) के प्रकरण में दिया गया निर्णय सही विधि का प्रतिपादन नहीं करता, जिसमें यह कहा गया था कि नगरपालिका अधिकारी को दी गई सूचना, नगरपालिका को दी गई सूचना मानी जाएगी। वर्तमान प्रकरण में विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपर्युक्त निर्णयों पर अवलम्ब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्य

नगर पालिका अधिकारी को दी गई सूचना विधिवत रूप से नगरपालिका को दी गई सूचना है, किंतु हम उस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते। फलस्वरूप, हमारा मत यह है कि विधि की अनिवार्य अपेक्षा यह है कि लिखित सूचना नगरपालिका को ही संबोधित होनी चाहिए, और केवल मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दी गई सूचना विधि की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करती।

8. यद्यपि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ के समक्ष श्रीमती प्रभा रानी विश्वकर्मा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विवाद इस प्रश्न तक सीमित था कि क्या नगर परिषद की अध्यक्ष द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संबोधित त्यागपत्र को नगर परिषद को विधिवत प्रस्तुत त्यागपत्र माना जा सकता है अथवा नहीं, तथापि उस निर्णय में नगरपालिका के विधिक स्वरूप तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी की विधिक स्थिति पर विस्तार से विचार किया गया है। उक्त निर्णय में नगरपालिका को एक निकाय निगमित तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और निर्वाचित प्रमुख अर्थात परिषद के अध्यक्ष से पृथक बताया गया है। उपर्युक्त निर्णय पर तथा धारा 3(8) (जिसमें "परिषद" की परिभाषा दी गई है), धारा 5 (नगर परिषद की स्थापना संबंधी प्रावधान) तथा धारा 19 में निहित प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट रूप से यह अंतर प्रतिपादित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नगर परिषद की संरचना को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय बिना किसी संकोच के यह निर्णय देता है कि अधिनियम की धारा 324 में प्रयुक्त शब्द "परिषद" का अर्थ परिषद के अध्यक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता। अतः अधिनियम की धारा 324 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से परे है, क्योंकि परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध उनकी वित्तीय शक्तियाँ वापस लेने हेतु उक्त धारा के अंतर्गत कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है।

9. हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 323 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए यह तर्क देने का एक क्षीण प्रयास किया गया कि यदि धारा 324 के अंतर्गत शक्ति उपलब्ध नहीं है, तो आक्षेपित आदेश को धारा 323 के अंतर्गत पारित माना जा सकता है, और इस प्रकार उसे विधि अथवा अधिकार के अभाव वाला नहीं कहा जा सकता। यह तर्क केवल अस्वीकार किए जाने हेतु ही उल्लेख योग्य है। धारा 323 के अंतर्गत संभाग आयुक्त, कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह परिषद द्वारा या परिषद की ओर से पारित किसी भी संकल्प या आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित कर सके अथवा किसी कार्य के किए जाने पर प्रतिबंध लगा सके, यदि वह विधि, नियमों या उपविधियों के अनुरूप न हो तथा परिषद या जनहित के प्रतिकूल हो, अथवा जनता या किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों के समूह को क्षति या असुविधा पहुँचा रहा हो या पहुँचाने की संभावना हो, अथवा शांति भंग होने की आशंका उत्पन्न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करता हो। उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी तत्क्षण राज्य सरकार तथा उससे प्रभावित परिषद को कारणों के विवरण सहित आदेश की एक प्रति प्रेषित करेगा; तथा राज्य सरकार को यह विवेकाधिकार होगा कि वह उक्त आदेश को निरस्त करे अथवा उसे यथावत प्रभाव में बनाए रखने का निर्देश दे।

"बिना किसी संशोधन के, स्थायी रूप से या ऐसे कालावधि के लिए जैसा वह उपयुक्त समझे। जब आक्षेपित आदेश को धारा 323 की पूर्व-आवश्यक शर्तों के मापदंडों पर परखा जाता है, तो यह पूर्णतः स्पष्ट है कि उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है, न कि उस प्राधिकरण द्वारा जो विधि के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा आदेश पारित करने हेतु सक्षम है। परिणामस्वरूप, जब स्वयं राज्य सरकार ने आदेश पारित किया है, तब उसे धारा 323 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य सरकार को पुष्टि हेतु भेजने का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध शक्ति केवल किसी विशेष प्रस्ताव या आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने अथवा किसी ऐसे कार्य को करने से निषेध करने तक सीमित है; अर्थात् यह शक्ति किसी विशिष्ट प्रस्ताव, आदेश या कार्य से संबंधित है। जबकि वर्तमान मामले में, छत्तीसगढ़ नगरपालिका लेखा नियम, 1971 के अंतर्गत अध्यक्ष को प्रदत्त समस्त वित्तीय शक्तियाँ पूर्णतः जब्त/वापस ले ली गई हैं। ऐसी शक्ति का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिकल्पना धारा 323 के अंतर्गत नहीं किया गया है। अतः हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निराधार है और प्रारंभ में ही अस्वीकार किए जाने योग्य है।

10. **त्रिलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2001) 6 एससीसी 260** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कण्डिका 7 एवं 11 में निम्नलिखित दृष्टान्त प्रतिपादित किया है—

> 7. विधि के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, एक बार किसी लोकतांत्रिक संस्था में निर्वाचित हो जाने के पश्चात, पदाधिकारी उस पद पर उस अवधि तक बने रहने का अधिकारी होता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, जब तक कि उसका निर्वाचन विधि द्वारा ज्ञात एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरस्त न कर दिया जाए। यह कि निर्वाचित प्रत्याशी को संबंधित अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान पद धारण करने, उसका उपभोग करने तथा उससे संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार है, न केवल उस प्रत्याशी का बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचक मंडल का भी एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे पद से हटाया जाना यह एक गंभीर विषय है। यह पदधारी के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वैधानिक कार्यकाल को सीमित करता है। पदधारी पर यह कहते हुए लान्छन लगाया जाता है कि कुछ आरोप सिद्ध पाए गए हैं, जिनके कारण वह उस पद को धारण करने के अयोग्य हो गया है। अतः अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत आने वाला कोई आधार स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार, धारा 22 के अर्थ में, किसी अध्यक्ष को उसके पद से **"अपने अधिकारों के दुरुपयोग"** के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, पद से हटा सकती है। वर्तमान मामले में हम इसी वाक्यांश से संबंधित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **"अधिकारों का दुरुपयोग"** की अभिव्यक्ति, जिस संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया गया है, का अर्थ मात्र ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं हो सकता जो केवल अयुक्तिसंगत या अनुपयुक्त प्रतीत हो। इसका आशय जानबूझकर किए गए दुरुपयोग या आशय पूर्वक किए गए गलत कार्य से है। किसी अधिकार का ईमानदार किंतु त्रुटिपूर्ण प्रयोग अथवा निर्णयहीनता को अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता। कोई निर्णय, कार्य या निर्देश प्रभावित व्यक्ति के लिए असुविधाजनक या अप्रिय हो सकता है, परंतु मात्र इस कारण से वह अधिकारों का दुरुपयोग नहीं ठहराया जा सकता। दुरुपयोग ऐसा होना चाहिए जो किसी पार्षद को अध्यक्ष पद धारण करने के अयोग्य

बना दे। चूँकि अधिकारों के दुरुपयोग से नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस अभिव्यक्ति की संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। पुनः, धारा 22 में प्रयुक्त शब्द हैं— "अपने अधिकारों का दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आदतन विफलता"। यहाँ बहुवचन शब्द "अधिकारों" का प्रयोग तथा धारा 22 की भाषा-रचना महत्वपूर्ण है और यह विधायी मंशा को दर्शाता है। "अधिकारों का दुरुपयोग" वाक्यांश को उसके पश्चात आने वाले वाक्यांश— "या कर्तव्यों के निर्वहन में आदतन विफलता"— से अर्थ ग्रहण करना होगा। अधिकारों के प्रयोग में एकल या आकस्मिक चूक पर्याप्त नहीं है; बल्कि आचरण की निरंतरता, या अधिकारों के प्रयोग में बार-बार की गई चूक, और वह भी बेईमानी की नीयत से युक्त होने पर ही, धारा 22 के अर्थ में "अधिकारों का दुरुपयोग" माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"विधायिका का यह आशय नहीं हो सकता कि जनमत द्वारा निर्वाचित किसी पद पर आसीन व्यक्ति को किसी एक मात्र निरापद (निर्दोष) कृत्य अथवा निर्णय में हुई त्रुटि के आधार पर पद से अपदस्थ कर दिया जाए।"

11. शारदा कैलाश मित्तल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) (2) एससीसी 319 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 25 एवं 26 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया गया है:

"25. धारा 41-क के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा किसी समिति के अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु राज्य सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि उक्त प्रावधान में किसी अपील का प्रावधान नहीं है। पद से हटाने की कार्यवाही संबंधित पदाधिकारी के व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन पर गंभीर लान्छन (स्टिग्मा) आरोपित करती है तथा इसके परिणामस्वरूप उसे आगामी कार्यकाल के लिए उक्त पद धारण करने से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। अतः इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग पदाधिकारी की स्थिति पर गंभीर दीवानी परिणाम उत्पन्न करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. धारा 41-क के प्रावधानों में इस शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, सिवाय इसके कि संबंधित पदाधिकारी को युक्तिसंगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस शक्ति की प्रकृति तथा इसके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा इस शक्ति का प्रयोग केवल अत्यंत सशक्त एवं ठोस कारणों के आधार पर ही किया जाए। इस शक्ति का प्रयोग निर्वाचित पदधारी द्वारा अपने कर्तव्यों के

निर्वहन में हुई छोटी-मोटी अनियमितताओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उक्त प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, क्योंकि पदधारी इस पद पर निर्वाचन द्वारा आसीन होता है तथा उसे कार्यपालिका के आदेश द्वारा पद से वंचित कर दिया जाता है, जिसमें मतदाताओं की कोई भागीदारी नहीं होती।"*

12. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से पूर्णतः हटाया नहीं गया है, तथापि उसकी वित्तीय शक्तियाँ आक्षेपित आदेश के द्वारा छीन ली गई हैं। यह आदेश ऐसा लान्छन लगाता है जो किसी अध्यक्ष को पद से हटाने पर लगने वाले लान्छन से कम नहीं है। जब किसी व्यक्ति की शक्तियाँ वापस ले ली जाती हैं, तो मतदाताओं और समर्थकों के मन में उसकी साख गिर जाती है और यह संदेश जाता है कि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है और वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पद पर तो बना रहता है, लेकिन उसे बिल, चेक आदि जैसे वित्तीय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं रहता। ये अधिकार वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, जबकि अध्यक्ष स्वयं कार्यालय में उपस्थित है। इस प्रकार का आदेश नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष के लिए अपमानजनक है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए न्यायालय का स्पष्ट मत है कि किसी भी दृष्टि से यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आक्षेपित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है। अतः उत्प्रेक्षण रिट जारी कर इस आदेश को अभिखंडित किया जाता है।

13. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

एसडी/-
पी. के. मिश्रा
जज

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by- SMT. PRABHA SHARMA